अध्याय V

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2022–23 के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियाँ और संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम शामिल हैं।

यह अध्याय राज्य सरकार की कम्पनियों और निगमों के वित्तीय प्रदर्शन जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है, की संक्षिप्त स्थिति देता है। इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कम्पनियों और निगमों के वर्ष 2022–23 (या पिछले वर्षों के जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिमीकृत किया गया था) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा/एकमात्र लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों[1] को शामिल किया गया है।

5.2 सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है।

एक सांविधिक निगम की स्थापना संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून के अंतर्गत की जाती है।

5.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत निर्मित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करते हैं और जिस तरीके से लेखों की लेखा परीक्षा की जानी है, उस पर निर्देश देते हैं। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखा परीक्षा करने का भी अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रुप में या विधियों के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा करने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

[1] 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक अंतिमीकृत/जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

31 मार्च 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 28 पीएसयू (27 सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम[2]) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। इनमें से कोई भी पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

28 पीएसयू में से 26 पीएसयू (25 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) कार्यरत और दो[3] पीएसयू निष्क्रिय थे। इन 26 कार्यरत पीएसयू में से केवल 20 पीएसयू (19 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखें 30 सितंबर 2023 को दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। आठ पीएसयू जिनके लेखें तीन या अधिक वर्षों से बकाया (सात पीएसयू[4]) या प्रथम लेखें जमा नहीं किए (एक पीएसयू[5]) थे, को इस प्रतिवेदन में विस्तृत विश्लेषण के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है **(परिशिष्ट 5.1)**।

पीएसयू के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयू की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इन 20 पीएसयू को पाँच क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इन 20 पीएसयू का टर्नओवर (₹42,172.73 करोड़) वर्ष 2022–23 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी (₹4,57,608.26 करोड़) का 9.22 प्रतिशत था। 2022–23 के दौरान पीएसयू के कुल टर्नओवर में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की हिस्सेदारी 66.51 प्रतिशत है **(तालिका 5.1)**।

तालिका 5.1: वर्ष 2022–23 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार टर्नओवर के साथ–साथ पीएसयू के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पीएसयू की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	टर्नओवर का जीएसडीपी में हिस्सा
1	ऊर्जा और शक्ति	4	28,048.36	6.13
2	अधोसंरचना	4	10.40	0.002
3	कृषि और संबद्ध उद्योग	2	678.55	0.15
4	सेवाएं	8	13,294.65	2.91
5	अन्य	2	140.77	0.03
	योग	**20**	**42,172.73**	**9.22**

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना

5.5 सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 28 कम्पनियों (27 सरकारी कम्पनियों और एक सांविधिक निगम) के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करते हैं। 30 सितंबर 2023 को पीएसयू द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति **तालिका 5.2** में प्रस्तुत की गई है।

[2] छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)।

[3] छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड।

[4] छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड ।

[5] छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड।

तालिका 5.2: पीएसयू द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की कुल संख्या	30 सितंबर 2023 की स्थिति में पीएसयू द्वारा लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति				पीएसयू की संख्या जिनके लेखें बकाया थे (बकाया लेखों की संख्या)
		2022–23 के लेखें	2021–22 के लेखें	2020–21 या पिछले वर्षों के लेखें	योग	
सरकारी कम्पनियाँ	25	2	14	9	25	23 (42)
सांविधिक निगम	1	0	1	0	1	1 (1)
कुल कार्यरत पीएसयू	**26**	**2**	**15**	**9**	**26**	**24 (43)**
निष्क्रिय पीएसयू	2	1	0	1	2	1 (4)
योग	**28**	**3[6]**	**15**	**10**	**28**	**25 (47)**

स्रोतः पीएसयू द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखें

पीएसयू जिनका वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2023 तक लंबित है, का विवरण **परिशिष्ट 5.1(बी)** में दिखाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 20 पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन का सारांश **तालिका 5.3** में प्रस्तुत है।

तालिका 5.3: पीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

पीएसयू के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	
राज्य के पीएसयू की कुल संख्या	28
इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयू की संख्या	20
प्रदत्त पूँजी (20 पीएसयू)	₹6,915.97 करोड़
दीर्घावधि ऋण (20 पीएसयू)	₹10,519.65 करोड़
शुद्ध लाभ (10 पीएसयू)	₹879.22 करोड़
शुद्ध हानि (सात पीएसयू)	₹1,143.10 करोड़
शून्य लाभ/हानि (तीन पीएसयू)	–
घोषित लाभांश (एक पीएसयू)	₹3.64 करोड़
निवल मूल्य (20 पीएसयू)	₹745.27 करोड़

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

5.6.1 इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण

31 मार्च 2023 को समाप्त तीन साल की अवधि के लिए 28 पीएसयू में पूँजी और ऋण के रूप में सरकारी निवेश **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2021 की स्थिति में			31 मार्च 2022 की स्थिति में			31 मार्च 2023 की स्थिति में		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
राज्य सरकार	6,672.82	724.83	7,397.65	6,672.82	758.36	7,431.18	6,733.03	846.06	7,579.09
केन्द्र सरकार	25.42	292.78	318.20	25.42	158.89	184.31	35.22	130.97	166.19
अन्य	315.46	12,847.58	13,163.04	315.46	12,460.72	12,776.18	315.46	12,900.87	13,216.33
योग	**7,013.70**	**13,865.19**	**20,878.89**	**7,013.70**	**13,377.97**	**20,391.67**	**7,083.71**	**13,877.90**	**20,961.61**
कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (% में)	95.14	5.23	35.43	95.14	5.67	36.44	95.05	6.10	36.16

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और पीएसयू द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित

[6] छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड

वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान इन पीएसयू में कुल निवेश में 0.40 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। 31 मार्च 2023 की स्थिति में, राज्य के 28 पीएसयू के कुल निवेश में अंश पूँजी 33.79 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 66.21 प्रतिशत था। राज्य के 28 पीएसयू में दीर्घावधि ऋणों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ₹977.03 करोड़ और अन्य स्रोतों से जुटाए गए ₹12,900.87 करोड़ शामिल थे **(परिशिष्ट 5.2)**।

5.6.2 सम्पत्तियों की पर्याप्तता

शोधनक्षम माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों के योग से अधिक अवश्य होना चाहिए। 31 मार्च 2023 तक कुल संपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋणों के कवरेज का विवरण **तालिका 5.5** में विस्तृत है।

तालिका 5.5: कुल संपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण का कवरेज

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का प्रकार	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत
सरकारी कम्पनियाँ	8	10,430.66	46,852.04	449.18	–	–	–	–
सांविधिक निगम	1	88.99	1290.50	1450.16	–	–	–	–

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6.3 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर जानकारी

राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयू को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार पीएसयू द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है जिसके लिए वह आधा प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन लेती है। विवरण **तालिका 5.6** में है।

तालिका 5.6: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[7]	2020–21		2021–22		2022–23		योग
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	राशि
(i) ऋण	1	62.00	2	101.51	2	128.60	292.11
(ii) अनुदान/सब्सिडी	9	8,445.74	10	7,226.58	10	9,740.33	25,412.65
बहिर्गमन का योग (i+ii)	**10**	**8,507.74**	**12**	**7,328.09**	**12**	**9,868.93**	**25,704.76**
बकाया गारंटी	2	3,426.34	3	3,314.65	3	4,911.43	11,652.42
गारंटी प्रतिबद्धता	3	6,682.28	3	11,907.28	3	9,084.44	27,674.00

स्रोतः पीएसयू द्वारा प्रदान की गई सूचना

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पीएसयू द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता 2020–21 में ₹8,507.74 करोड़ से बढ़कर 2022–23 की अवधि के दौरान ₹9,868.93 करोड़ हो गई। ऋण के रुप में बजटीय सहायता छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (₹85.67 करोड़) को खनिज अन्वेषण कार्य के लिए व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को ₹42.93 करोड़ रुपये दिये गये। सब्सिडी/अनुदान का प्रमुख हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹5,242.99 करोड़) को विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना की निःशुल्क आपूर्ति, मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना, आधी बिजली बिल योजना, कृषि पंप को ऊर्जान्वित करना इत्यादि के

[7] राशि राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

कार्यान्वयन तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹4,017.86 करोड़) को जनता को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दिया गया था।

5.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल

5.7.1 पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ

20 पीएसयू (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 10 पीएसयू द्वारा (उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार) 2022–23 में अर्जित लाभ ₹879.22 करोड़ रुपये था, जबकि 2020–21 में नौ पीएसयू ने ₹540.16 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। लाभ में वृद्वि का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के लाभ में वृद्वि ₹196.63 करोड़ (2020–21) से ₹570.38 करोड़ (2021–22) होना था। वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को **तालिका 5.7** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.7: पीएसयू जिन्होंने वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान लाभ अर्जित किया

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)		
		2020–21	2021–22	2022–23
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	11.56	36.49	52.65
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	5.38	8.35	8.35
3	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	--	20.64	20.64
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	24.09	17.17	17.17
5	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	4.08	4.08	4.08
6	छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम	143.04	71.20	71.20
7	छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड	--	24.79	24.79
8	केरवा कोल लिमिटेड	0.28	0.07	0.07
9	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	196.63	570.38	570.38
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	153.90	109.89	109.89
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	1.20	1.68	*--
योग		**540.16**	**864.74**	**879.22**

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

*छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जून 2022 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिया गया।

5.7.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार द्वारा कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की गयी थी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ कमाने वाले पीएसयू को कर पश्चात लाभ/प्रदत्त पूँजी के न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिफल भुगतान करने की आवश्यकता हो।

16 पीएसयू जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया था, का इस अवधि के दौरान लाभांश भुगतान **तालिका 5.8** में दिखाया गया है:

तालिका 5.8: पीएसयू के लाभांश भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयू जिनमें राज्य सरकार का पूँजी निवेश है		पीएसयू जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		पीएसयू जिन्होने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित /भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयू की संख्या	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निवेश पूँजी	पीएसयू की संख्या	लाभ	पीएसयू की संख्या	पीएसयू द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/5*100)
2020–21	18	6,665.97	8	539.88	2	3.84	0.71
2021–22	18	7,289.36	10	864.67	2	1.15	0.13
2022–23	16	6,726.18	9[8]	879.15	1	3.64	0.41

वर्ष 2022–23 के दौरान 16 पीएसयू में से नौ पीएसयू ने कुल ₹879.15 करोड़ का लाभ अर्जित किया। केवल एक सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2021–22 के लिए ₹3.64 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया।

5.8 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज के व्ययों से विभाजित करके की जाती है। एक से नीचे का अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयू जिनमें 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आईसीआर

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज का भार था	पीएसयू की संख्या जिनका आईसीआर एक/एक से अधिक था	पीएसयू की संख्या जिनका आईसीआर एक से कम था
2020–21	1707.56	1863.90	8	5	3
2021–22	1502.90	1189.41	9	7	2
2022–23	1857.12	1224.14	9	7	2

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

यह देखा गया कि 2022–23 के दौरान ब्याज भार वाले नौ पीएसयू में से दो पीएसयू (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसरचना विकास निगम लिमिटेड) का आईसीआर 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान एक से कम था। वर्ष 2020–21 के दौरान एक से कम आईसीआर वाले पीएसयू की संख्या में छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड सम्मिलित है।

[8] केरवा कोल लिमिटेड को लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों से बाहर रखा गया है क्योंकि इसके पास छत्तीसगढ़ सरकार की इक्विटी नहीं है।

5.9 सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता

5.9.1 अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)

31 मार्च 2023 की स्थिति में, लाभ कमाने वाले 10 पीएसयू ने कुल ₹879.22 करोड़ का लाभ अर्जित किया। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार लाभ कमाने वाले प्रमुख पीएसयू, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹109.89 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (₹71.20 करोड़) थे, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि (₹1,132.72 करोड़) दर्ज की।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 10 लाभ कमाने वाले उपक्रमों में से, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रमों ने केवल अपने परिचालन[9] से लाभ अर्जित किया और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम ने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया जैसा कि **परिशिष्ट 5.3** में वर्णित है।

5.9.2 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक कम्पनी की नियोजित पूँजी के साथ उसकी लाभप्रदता तथा दक्षता को मापता है। इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूँजी[10] से विभाजित करके की जाती है।

तालिका 5.10: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

पीएसयू की प्रकृति	वर्ष	पीएसयू की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
	1	2	3	4	5 = 3/4*100
लाभार्जन करने वाले	2020–21	9	1562.88	15339.47	10.19
	2021–22	11	2021.15	16037.92	12.60
	2022–23	10	2035.44	15429.05	13.19
हानि वहन करने वाले	2020–21	10	317.48	–2220.04	–14.30
	2021–22	8	–798.54	–3090.27	25.84
	2022–23	7	–360.45	–4425.73	8.14
शून्य लाभ/हानि वाले	2020–21	3	0	201.54	0.00
	2021–22	3	0	202.12	0.00
	2022–23	3	0	202.12	0.00
कुल	**2020–21**	**22**	**1880.36**	**13320.97**	**14.12**
	2021–22	**22**	**1222.61**	**13149.77**	**9.30**
	2022–23	**20**	**1674.99**	**11205.44**	**14.95**

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

तालिका से पता चलता है कि लाभप्रदता का स्तर बढ़ रहा है क्योंकि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2020–21 में 14.12 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 14.95 प्रतिशत हो रहा है **(तालिका 5.10)**।

[9] परिचालन गतिविधियों का लाभ = टर्नओवर – कुल व्यय

[10] नियोजित पूंजी= प्रदत्त अंशपूंजी + दीर्घावधि ऋण + संचित लाभ/–संचित हानियां। आंकड़े पीएसयू के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अंतिमीकृत किया गया है, के अनुसार है।

5.9.3 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2023 की स्थिति में 20 पीएसयू में राज्य सरकार का ऐतिहासिक लागत के आधार पर कुल निवेश ₹ 18,831.86 करोड़ था। ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2020–21 से 2022–23 की अवधि के लिए क्षेत्रवार आरओआई **तालिका 5.11** में दी गई है।

तालिका 5.11: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	केंद्र सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	अन्य द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	आर ओ आर आर (प्रतिशत में)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii= vi*100/v)
सरकारी कम्पनियाँ						
2020–21	7,325.70	318.20	12,825.07	20,468.97	–36.02	–0.18
2021–22	7,971.01	184.31	12,548.66	20,703.98	–433.43	–2.09
2022–23	7,292.23	166.19	11,280.41	18,738.83	–335.08	–1.79
सांविधिक निगम						
2020–21	70.00	0.00	2.02	72.02	143.04	198.61
2021–22	91.01	0.00	2.02	93.03	71.20	76.53
2022–23	91.01	0.00	2.02	93.03	71.20	76.53
महायोग						
2020–21	**7,395.70**	**318.20**	**12,827.09**	**20,540.99**	**107.02**	**0.52**
2021–22	**8,062.02**	**184.31**	**12,550.68**	**20,797.01**	**–362.23**	**–1.74**
2022–23	**7,383.24**	**166.19**	**11,282.43**	**18,831.86**	**–263.88**	**–1.40**

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान, निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सरकारी कम्पनियों का प्रतिफल –2.09 प्रतिशत से –0.18 प्रतिशत के मध्य था, जबकि निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सांविधिक निगम का प्रतिफल 76.53 प्रतिशत से 198.61 प्रतिशत के मध्य था।

5.9.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की प्रर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए भी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना की गई है।

इन पीएसयू में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है।

- राज्य सरकार के निवेश की गणना 31 मार्च 2023 की स्थिति में की गई है जहॉ धनराशि को पूँजी, डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन/प्रबंधन व्यय के रुप में निवेशित किया है।

- दीर्घावधि ऋण जिन पर पीएसयू द्वारा ब्याज के भुगतान में चूक हुई, को राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है। इन पीएसयू द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि के दौरान ऋणों के कम हुए शेष पर की गई है।

- पूँजीगत अनुदान को छोड़कर, अनुदान/सब्सिडी के रुप में प्रदान की गई धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वो निवेश के रुप में माने जाने योग्य नहीं है।

- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष[11] के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य की छूट की दर के रुप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये कोषों पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इसलिए सरकार द्वारा किये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रुप में माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों से संबंधित इसी अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति **तालिका 5.12** में दर्शाई गई है।

तालिका 5.12: राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की वर्षवार स्थिति

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी	शुद्ध ब्याज मुक्त ऋण/ बकाया ऋण	वर्ष के दौरान रुपांतारित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	शासकीय ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए कोष की लागत वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष की कुल आय	कुल निवेश पर प्रतिफल का प्रतिशत
क	ख	ग	घ	च	छ	ज=(ग+घ -च+ छ)	झ=ख+ज	ट	ठ = (झ* ट%) +झ	ड = झ* ट%	ढ	त=ढ* 100/झ
2016–17 तक	4483.97	6649.27	268.64	20.11	2253.92	9151.72	13635.69	6.62	14538.38			
2017–18	14538.38	21.60	84.23	0	1353.68	1459.51	15997.89	6.38	17018.55	1020.66	1124.26	7.03
2018–19	17018.55	0	81.86	0	269.88	351.74	17370.29	6.10	18429.89	1059.58	928.65	5.35
2019–20	18429.89	0	–57.77	0	271.80	214.03	18643.92	6.83	19917.29	1273.38	–303.84	–1.63
2020–21	19917.29	0	0	0	331.89	331.89	20249.18	6.57	21579.56	1330.37	106.87	0.53
2021–22	21579.56	0	0	0	806.55	806.55	22386.09	6.40	23818.80	1432.71	–362.07	–1.62
2022–23	23818.80	11.72	0	0	757.78	769.50	24588.30	6.91	26287.35	1699.05	–263.72	–1.08
योग		**6682.59**	**376.96**	**20.11**	**6045.50**	**13084.94**						

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2022–23 के अंत में राज्य सरकार का 22 पीएसयू (इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए पीएसयू सहित) में कुल निवेश ₹13,084.94 करोड़ था जिसमें पूँजी (₹6,682.59 करोड़), बकाया दीर्घावधि ऋण (₹376.96 करोड़, पूँजी में परिवर्तित ₹20.11 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर) एवं पूँजीगत अनुदान (₹6,045.50 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य सरकार के निवेशों के पीवी की गणना ₹26,287.35 करोड़ की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान सकारात्मक प्रतिफल की तुलना में 2021–22 और 2022–23 के दौरान प्रतिफल नकारात्मक थे।

[11] सम्बन्धित वर्ष की सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दरों को राज्य वित्त पर भारत के सीएजी के प्रतिवेदन (छत्तीसगढ़ शासन) से अपनाया गया है जिसमें चुकाये गये ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/{(पूर्व वर्ष के वित्तीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष के वित्तीय दायित्व)/2} x 100

5.10 हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.10.1 वहन की गयी हानियाँ

मार्च 2023 के अंत में सात[12] पीएसयू ऐसे थे जिन्होंने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानियाँ वहन की। इन पीएसयू द्वारा वहन की गई हानियाँ 2020–21 में ₹433.14 करोड़ से बढ़कर इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹1143.10 करोड़ हो गयी जैसा कि नीचे **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका 5.13: 2020–21 से 2022–23 के दौरान हानियाँ वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या
(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	हानि में चल रहे राज्य पीएसयू की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	निवल संचित हानि/लाभ	निवल मूल्य
2020–21	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	–422.12	–7727.69	–5443.37
	सेवाएं	5	–4.04	–176.36	–114.98
	अधोसंरचना	2	–0.03	3.99	13.09
	अन्य पीएसयू	1	–6.95	–7.83	–6.69
	योग	**10**	**–433.14**	**–7907.89**	**–5551.95**
2021–22	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	–1216.59	–8944.29	–6036.58
	सेवाएं	4	–9.80	19.20*	75.20
	अधोसंरचना	2	–0.58	3.41	12.51
	योग	**8**	**–1226.97**	**–8921.68**	**–5948.87**
2022–23	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	1	–1132.72	–10057.33	–7149.62
	सेवाएं	4	–9.80	19.20*	75.20
	अधोसंरचना	2	–0.58	3.41	12.51
	योग	**7**	**–1143.10**	**–10034.72**	**–7061.91**

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

*इसमें छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का वित्तीय परिणाम शामिल नहीं है क्योंकि निगम ने 2021–22 के दौरान लाभ कमाया, जबकि वर्ष 2020–21 के दौरान उसे ₹205.35 करोड़ की संचित हानि के साथ घाटा हुआ।

2022–23 में, सात पीएसयू द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹1,143.10 करोड़ में से, ₹1,132.72 करोड़ की हानि का योगदान एक ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया गया था।

5.10.2 हानि वहन कर रही कंपनियों में निवेश

हानि वहन करने वाले सात पीएसयू में, 31 मार्च 2023 की स्थिति में पूँजी और ऋण के रूप में सरकारी और अन्य निवेश **तालिका 5.14** में दिया गया है।

[12] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगड़ रेलवे लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड

तालिका 5.14: हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	31 मार्च 2023 की स्थिति में						
		पूँजी			दीर्घावधि ऋण			योग
		छत्तीसगढ़ सरकार	भारत सरकार	अन्य	छत्तीसगढ़ सरकार	भारत सरकार	अन्य	
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2886.54	0.00	0.00	64.10	130.97	1576.61	**4658.22**
2	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसरचना विकास निगम लिमिटेड	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1598.68	**1603.58**
3	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.27	**560.27**
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4.20**
5	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	37.22	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**71.52**
6	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेडं	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	**2.00**
7	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	**2.00**
योग		**2934.86**	**34.30**	**4.00**	**64.10**	**130.97**	**3733.56**	**6901.79**

स्रोतः 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और पीएसयू द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित

31 मार्च 2023 की स्थिति में, हानि वहन करने वाले सात पीएसयू में कुल निवेश ₹6901.79 करोड था जिसमें 43.08 प्रतिशत अंश पूँजी और 56.92 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। वर्ष 2022–23 के अंत में छत्तीसगढ़ सरकार के पूँजी और दीर्घकालिक ऋण क्रमशः ₹2,934.86 करोड (कुल पूँजी का 98.71 प्रतिशत) और ₹64.10 करोड़ (कुल दीर्घकालिक ऋण का 1.63 प्रतिशत) थे। 31 मार्च 2023 तक इन पीएसयू में दीर्घकालिक ऋण में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ₹195.07 करोड़ और अन्य स्रोतों से जुटाए गए ₹3,733.56 करोड़ शामिल थे।

5.10.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण

निवल मूल्य का आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने से होता है। वास्तव में यह स्वामियों के लिए उपक्रम के मूल्य की माप है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि अंशधारकों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

पूँजी (प्रदत्त पूँजी एवं डिफॉल्टेड ऋण) ₹2,972.81 करोड़ के विरुद्ध, हानि वहन करने वाले सात पीएसयू द्वारा प्रतिवेदित कुल शुद्ध संचित हानि ₹10,034.72 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2023 की स्थिति में इन सात पीएसयू का निवल मूल्य क्षरित होकर –₹7,061.91[13] करोड़ हो गया। एक पीएसयू छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2022–23 के दौरान ₹1,132.72 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2023 की स्थिति में ₹10,057.33 करोड़ की संचित हानि प्रतिवेदित की।

[13] प्रदत्त पूँजी + डिफॉल्टेड ऋण ₹2,972.81 करोड – संचित हानि ₹10,034.72 करोड = –₹7061.91 करोड

तालिका 5.15: पीएसयू का विवरण जिनका निवल मूल्य उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्षरित हो गया है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य पीएसयू का नाम	अंतिमीकृत लेखों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	संचित हानि	निवल मूल्य	अवधि जबसे निवल मूल्य नकारात्मक बना हुआ है	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की पूँजी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की ऋण
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021–22	4.43	20.64	184.71	(–)179.33	2000–01	4.43	0.00
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2022–23	2886.54	(–)1132.72	10057.33	(–)7149.62	2009–10	2886.54	64.10
3	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019–20	0.10	(–)0.39	1.18	(–)1.08	2017–18	0.10	0.00
4	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	2019–20	0.10	(–)6.71	6.72	(–)6.62	2019–20	0.10	0.00
5	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2018–19	1.60	(–)3.94	12.13	(–)9.88	2003–04	1.60	0.00

28 पीएसयू में से उपरोक्त पाँच पीएसयू के निवल मूल्य का संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरण हो गया था एवं उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। इन पांच पीएसयू का निवल मूल्य चार साल से लेकर तेईस साल तक की अवधि के लिए नकारात्मक रहा है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त पांच कंपनियों में से चार[14] ने नियत तारीख यानी 30 सितंबर 2023 के भीतर वार्षिक लेखें जमा नहीं किए है। इन पाँच पीएसयू की प्राप्ति का मुख्य स्रोत परिचालन आय, राजस्व अनुदान[15], ब्याज आय और अन्य विविध प्राप्तियाँ थीं। इन पांच पीएसयू में से, दो पीएसयू अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल) के निवल मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट हुई। सीएसपीडीसीएल एक विनियमित वातावरण में काम करता है अर्थात यह मुक्त बाजार तंत्र के अनुसार अपने उपभोक्ताओं पर लागत नहीं डाल सकता है एवं टैरिफ प्रशासित होता है। राजस्व और व्यय दोनों को बनाने वाले मुख्य मापदंडों के विश्लेषण से पता चला कि 2019–20 और 2022–23 (2019–20 को आधार वर्ष लेते हुए) के बीच परिचालन से राजस्व[16] की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर[17] (सीएजीआर) 9.00 प्रतिशत थी। इसके मुकाबले बिजली खरीद की लागत[18] का सीएजीआर 8.63 प्रतिशत था। संचालन से राजस्व में वृद्धि आम तौर पर बिजली की बढ़ी हुई लागत से शून्य हो जाती है, जिससे अन्य खर्चों (जैसे कर्मचारी लाभ व्यय (ईबीई), वित्त लागत, बड़े मौद्रिक आधार वाले मूल्यह्रास) जिसका सीएजीआर, ईबीई को छोड़कर स्वयं दहाई अंक में था, को समायोजित करने के लिए बहुत कम अंतर रह जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि परिचालन से राजस्व द्वारा उपलब्ध कम मार्जिन इन बढ़ते खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सीएससीएससीएल में 2002–03 से 2011–12 की अवधि की संचित हानि थी, लेकिन 2020–21 को छोड़कर 2012–13 से लाभ कमा रही है। शेष तीन पीएसयू में निवल मूल्य में गिरावट मामूली थी क्योंकि इन कंपनियों का राजस्व प्रवाह अनुदान आधारित था और बजटीय आवंटन या अनुदान के प्रतिशत के आधार पर, वार्षिक खर्चों में कटौती के बाद अधिशेष या घाटा होता था।

[14] तालिका 5.14 के क्र.सं. 1, 3, 4 और 5

[15] रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को ₹20 करोड़ रूपये का राजस्व अनुदान प्राप्त हुआ

[16] 2019–20 में ₹15,319 करोड़ और 2022–23 में ₹19,837.18 करोड़

[17] सीएजीआर = (अंतिम मूल्य/आरंभिक मूल्य) $1^{/t}$-1, जहां t वर्ष में समय अवधि है

[18] 2019–20 में ₹14,019.80 करोड़ और 2022–23 में ₹17,973.37 करोड़

5.11 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

5.11.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनी की अन्य सूचनाओं के साथ उसके वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करता है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेट द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यदि आवश्यक समझे तो धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंर्तगत आने वाली किसी भी कम्पनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते है तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रुप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रुप से एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी या अन्य किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन है।

5.11.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी के मामले में प्रथम लेखापरीक्षक को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी के पंजीयन की तिथि से 60 दिन के भीतर नियुक्त किया जाना है तथा यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के निदेशक मंडल या कम्पनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए सभी पीएसयू (छत्तीसगढ़ राज्य राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को छोड़कर) के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सितम्बर 2023 तक की गई थी।

5.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाता है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं सीएजी द्वारा बनायी गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणियों के साथ सदन या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों और निगमों में निवेश किये गए सार्वजनिक कोष के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

5.12.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेडंर वर्ष में एक बार अंशधारकों की वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से अगली वार्षिक सामान्य सभा की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। धारा में आगे प्रावधान है कि वार्षिक सामान्य सभा के प्रथम बार होने के मामले में उसे कम्पनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर तथा किसी अन्य दशा में वित्तीय वर्ष की अंत की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा। तदानुसार, कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 30 सितम्बर 2023 तक वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त वार्षिक सामान्य सभा में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में यह भी प्रावधान है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की गैर अनुपालना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों जिसमें कम्पनी के निदेशक भी शामिल है, पर दंड एवं कारावास जैसी शास्ति लगाई जाए।

31 मार्च 2023 की स्थिति में भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 27 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम थे। इनमें से केवल तीन सरकारी कम्पनियों द्वारा उनके लेखें (2022–23), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु 30 सितंबर 2023 तक या उसके पूर्व प्रस्तुत किए गए। 25 पीएसयू द्वारा कुल 47 लेखें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किए थे जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 एवं संविधिक निगमो को नियंत्रित करने वाले विधि का उल्लंघन है।

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के बकाया लेखों का विवरण **तालिका 5.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.16: बकाया लेखों का विवरण

विवरण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
	सरकारी कम्पनियाँ पीएसयू की संख्या	सांविधिक निगम	कुल पीएसयू की संख्या
31.03.2023 तक सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में पीएसयू की कुल संख्या	27	01	28
30 सितंबर 2023 तक सीएजी लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022–23 के लेखें जमा करने वाले पीएसयू की संख्या	03	–	03

बकाया लेखों की संख्या		46(24)	01(01)	47(25)
बकाया सीमावधि		06 वर्षों तक	01 वर्ष	–
बकाया विवरण	(i) परिसमापन के अंतर्गत	–	–	–
	(ii) निष्क्रिय	4(01)	–	4(01)
	(iii) प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं	6(01)	–	6(01)
	(iv) अन्य	36(22)	01(01)	37(23)
'अन्य' श्रेणी के बकाया का आयु–वार विश्लेषण	एक वर्ष (2022–23)	14(14)	01(01)	15(15)
	दो वर्ष (2021–22 और 2022–23)	06(03)	–	06(03)
	तीन वर्ष और अधिक	16(05)	–	16(05)

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.13 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी–लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारुप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित हैं। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं ₹250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य वाली कम्पनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कम्पनियों की मूल, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम को भी भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपरोक्त द्वारा शामिल नहीं की गई कम्पनियाँ लेखा मानकों को लागू करना जारी रखेगी। 27 सरकारी कम्पनियों में से, 11 कम्पनियाँ भारतीय लेखा मानकों का पालन करती हैं जबकि शेष लेखा मानकों के अनुसार अपने लेखे तैयार करती हैं।

सांविधिक निगमों से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बताए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.13.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अतंर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मुख्य दायित्व ईकाई के प्रबंधन का है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड अकाटटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरुप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किया गया कि पाँच पीएसयू[19] द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों (एएस)/भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) का अनुपालन नहीं किया गया।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा करते है। इस प्रकार की समीक्षा के

[19] छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम।

आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी हो तो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत उन्हें वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया जाता है।

5.14 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम

5.14.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के दौरान लेखापरीक्षा हेतु 21 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जिनमें से 18 विगत वर्षों से संबंधित थे। वित्तीय विवरणों की प्राप्ति, की गई समीक्षा तथा जारी टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 5.17** में दी गई है।

तालिका 5.17: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरणों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23			विगत वर्ष		
	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल
प्राप्त	3	..	3	17	1	18
समीक्षा नहीं की गई	1	..	1	1	..	1
समीक्षा की गई	..	..	..	13	1	14
लेखापरीक्षा प्रगति पर*	2	..	2	3	..	3
शून्य टिप्पणियां जारी	..	..	..	..	..	..
टिप्पणियां जारी	..	..	..	13	1	14

**30 सितम्बर 2023 की स्थिति में*

समीक्षाधीन अवधि में 14 पीएसयू के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गई।

5.14.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की पूरक के रुप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पीएसयू के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र. स.	कंपनी का नाम	*टिप्पणी*
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2021–22)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में, कंपनी के कार्यालय की सजावट के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरएएनवीपी) द्वारा निष्पादित पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के लिए ₹431.92 लाख की राशि शामिल नहीं है और इसे सीडब्ल्यूआईपी के बजाय पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹431.92 लाख से कम बताया गया और पूंजी अग्रिम को उसी सीमा तक अधिक बताया गया।
2	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	1. मूल्यह्रास और परिशोधन में, नवा रायपुर अटल नगर स्थित कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन पर वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए मूल्यह्रास की राशि ₹62.60 लाख शामिल नहीं है। कंपनी ने 14 दिसंबर 2020 से नए कार्यालय भवन में काम करना शुरू कर दिया हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹62.60 लाख से मूल्यह्रास को कम और लाभ को अधिक बताया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप ₹12.44 करोड़ से पीपीई को कम और अन्य चालू परिसंपत्तियों (अन्य अग्रिमों के तहत) को अधिक बताया गया। 2. अन्य खर्चों में, अरिडोंगरी खदानों में 1000 केवीए ट्रांसफार्मर की स्थापना (₹49.60 लाख) और अरिडोंगरी खदानों में नए सेवा कनेक्शन (₹19.20 लाख) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को किया गया भुगतान ₹68.79 लाख शामिल नहीं है। इसके

		बजाय इस राशि को वर्ष 2021–22 के खातों में अग्रिम (अन्य चालू संपत्ति) के रूप में दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू परिसंपत्तियों के साथ–साथ लाभ को अधिक बताया गया और व्यय को ₹68.79 लाख से कम दिखाया गया।
3	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में, वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के मूल्यह्रास की राशि ₹1.48 करोड़ शामिल नहीं है। यह भवन 11 अप्रैल 2018 को कंपनी को सौंप दिया गया था। हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ₹1.48 करोड़ से मूल्यह्रास को कम और लाभ को अधिक बताया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप ₹8.24 करोड़ से पीपीई को कम और अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों (नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) को अग्रिम) को अधिक बताया गया।
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	अन्य चालू देनदारियों में, सबस्टेशनों का संचालन एवं रखरखाव, सुरक्षा सेवाओं, वार्षिक रखरखाव सेवाओं आदि के लिए ₹0.59 करोड़ शामिल नहीं हैं और वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित विभिन्न पूंजीगत चालू कार्यों से संबंधित चालान/बिलों के लिए ₹35.40 करोड़ का वित्तीय विवरण में प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹35.99 करोड़ की सीमा तक और पूंजीगत चालू कार्य को ₹35.40 करोड़ की सीमा तक कम करके दिखाया गया है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹0.59 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया और उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	अन्य खर्चों में, ₹1179.88 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने कंपनी के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार जल शुल्क बिल के लिए मांग की थी। कंपनी ने उपरोक्त समझौते की भुगतान शर्तों का उल्लंघन किया और पानी के बिल का भुगतान नहीं किया, बल्कि इसे अपने लेखों की पुस्तकों में आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया। चूंकि डब्ल्यूआरडी ने कंपनी के साथ निष्पादित समझौते की शर्तों के अनुसार जल शुल्क का लगातार बिल और दावा किया था, इसके लिए एक उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य खर्चों के साथ–साथ चालू देनदारी को ₹1179.88 करोड़ से कम बताया गया और उसी राशि से लाभ को अधिक बताया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र. स.	कंपनी का नाम	*टिप्पणी*
1	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	अन्य चालू देनदारियों में, खनिज विकास निधि से ऋण की पहली किस्त की राशि ₹8.86 करोड़, जो कि 2020–21 के ऋण के विरुद्ध ब्याज का भुगतान न करने के कारण दंडात्मक ब्याज ₹62 लाख के साथ, वर्ष 2021–22 के दौरान देय थी, शामिल नहीं है । इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों को ₹8.86 करोड़ और साथ ही अन्य खर्चों को ₹62 लाख से कम दिखाया गया है एवं उधार को ₹8.86 करोड़ और लाभ को ₹62 लाख से अधिक बताया गया है।
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	अन्य चालू देनदारियों में, वित्तीय वर्ष 2021–22 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती के कार्य के लिए ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड को देय ₹118.00 लाख का व्यय शामिल नहीं है और बिल उसी वर्ष प्राप्त हुआ था लेकिन भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों और अन्य चालू परिसंपत्तियों (इसकी सहायक कंपनियों से प्राप्य) को ₹118.00 लाख तक कम बताया गया है।
3	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020–21)	डीएमई (उपकरण खरीद) के ब्याज में, ₹10.00 करोड़ की सावधि जमा जो मेसर्स विप्रो जीई हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड को सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए क्रेडिट पत्र के रूप में प्रस्तुत (4 फरवरी 2019 और 16 जून 2020) किया गया था, पर अर्जित ब्याज के ₹39.71 लाख शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक देनदारियों (सरकार से फंड) के साथ–साथ अन्य चालू परिसंपत्तियों (एफडी पर अर्जित ब्याज) को ₹39.71 लाख से कम बताया गया है।
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020–21)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (भवन) में, वर्ष 2020–21 के दौरान रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में स्थित चार ड्रग वेयरहाउसों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना पर व्यय किए गए ₹3.50 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें भवन के बजाय विद्युत स्थापना और उपकरण के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹15.12 लाख तक मूल्यह्रास को कम और लाभ को अधिक बताया गया। इसके अलावा, ₹3.50 करोड़ तक भवन को अधिक एवं विद्युत स्थापना और उपकरण को कम बताया गया ।
5	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2021–22)	अन्य चालू देनदारियों में, सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इंडियन बैंक (₹400.00 करोड़) और केनरा बैंक (₹400.00 करोड़) से लिए गए ऋण के लिए दी गई गारंटी पर 0.5 प्रतिशत की दर से देय गारंटी शुल्क के ₹10.75 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। । मार्च 2022 तक, कंपनी ने न तो गारंटी शुल्क का भुगतान किया है और न ही इसके लिए कोई प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹10.75 करोड़ से कम तथा रिजर्व और अधिशेष को उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।
6	छत्तीसगढ़ राज्य वन	छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कैपिटल प्रोजेक्ट डिवीजन (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा प्रस्तुत

	विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	उपयोगिता प्रमाण पत्र (15 मार्च 2021) के अनुसार कर्मचारियों के लिए आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण और विकास पर व्यय किए गए ₹3.00 करोड, जिसे ₹5.00 करोड़ के अग्रिम से समायोजित नहीं किया गया था, पूंजीगत चालू कार्य में शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों (नोट:5 पूंजीगत अग्रिमों के तहत) को ₹3.00 करोड़ से अधिक बताया गया है और उसी सीमा तक पूंजीगत चालू कार्य को कम बताया गया है।

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र. स.	कंपनी का नाम	*टिप्पणी*
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2021–22)	अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के आइटम नंबर जी(आई) का संदर्भ आमंत्रित है जिसमें यह कहा गया था कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में, लंबित मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। हालाँकि, कंपनी ने मेसर्स कविता जैन, कोरबा, मेसर्स महावीर जैन, कोरबा और पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली से संबंधित लंबित मामलों के प्रभाव का प्रकट नहीं किया है। अतः अपने प्रतिवेदन में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की योग्यता उस सीमा तक अपूर्ण है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'बी' के आइटम नंबर (vi)बी का संदर्भ आमंत्रित है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ईपीएफ अपीलकर्ता न्यायाधिकरण ने कंपनी के खिलाफ निर्णय दिया था और मामला उच्च फोरम में अपील के लिए लंबित है। हालाँकि, इसी मामले के लिए कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहले ही (अप्रैल 2021) अपील दायर की जा चुकी है। इसलिए, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की योग्यता उस सीमा तक कम है।
2	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के महत्व पैराग्राफ के क्रम संख्या (आई) पर रखे गए वैधानिक लेखापरीक्षक की योग्यता का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि भूमि की अधिग्रहण लागत पर ब्याज के लिए एक संयुक्त उद्यम भागीदार मेसर्स लुमेन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को देय ₹66.37 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया था। हालाँकि, जेवी पार्टनर को देय ब्याज की वास्तविक राशि ₹72. 69 करोड़ थी। स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन उस सीमा तक तथ्यात्मक रूप से गलत है।
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के आइटम नंबर (बी)आई का संदर्भ आमंत्रित है जिसमें यह बताया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा। हालाँकि, 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास 17 मुकदमे लंबित थे। अतः लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उस सीमा तक अपर्याप्त है।
4	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड (2020–21)	लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में, वित्तीय रिपोर्टिंग (अनुलग्नक–1) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन के आइटम नं. 1 में बताया गया है कि ''कंपनी ने प्रावधानों ₹18,10,289, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि वास्तविक राशि ₹21,11,319 थी, का व्यय न करके कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के उल्लंघन में कंपनी, खर्च न की गई राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने में विफल रही है। इसलिए, अनुबंध– I स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन उस सीमा तक अपूर्ण है।
5	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसरचना विकास निगम लिमिटेड (2021–22)	लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत आवश्यक सभी उप–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। इसलिए, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन उस सीमा तक अपूर्ण है।
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	पिछले वर्ष (2020–21) के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई थी और शेयरधारकों द्वारा पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले वर्ष 2021–22 के वित्तीय विवरणों को कंपनी के बीओडी द्वारा अनुमोदित (22.09.2022) किया गया था। हालाँकि, इस तथ्य को सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ।

5.15 लेखामानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखांकन मानकों को निर्धारित किया। इनके

अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखा मानकों को अधिसूचित किया। तीन भारतीय लेखा मानक अर्थात् भारतीय लेखा मानक 11, 17 और 18 को भारतीय लेखा मानक 115 और 116 की अधिसूचना के बाद वापस ले लिया गया है।

अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के मध्य किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने भी लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जो उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए थे।

लेखा मानक/ भारतीय लेखा मानक	कम्पनी का नाम	विचलन
आईएनडी एएस 16– संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	आईएनडी एएस – 16 (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) के पैरा 73 के अनुसार वित्तीय विवरणों में अपवाद को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयोगी जीवन या मूल्यह्रास दरें बताना आवश्यक है। हालाँकि, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त उपयोगी जीवन या मूल्यह्रास दरों को प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार, वित्तीय विवरण के नोट्स उस सीमा तक अपर्याप्त हैं।
आईएनडी एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2021–22)	ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीजी) ने अपने आदेश दिनांक 24 मई 2022 द्वारा सीएसपीजीसीएल (₹1000 करोड़) और सीएसपीटीसीएल (₹500 करोड़) को देय सीएसपीडीसीएल के बकाया का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, राशि/किस्त छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीएसपीडीसीएल को प्रेषित की जानी थी और बाद में सीएसपीजीसीएल और/अथवा सीएसपीटीसीएल को हस्तांतरित की जानी थी। जीओसीजी के आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने जीओसीजी से प्राप्त होने वाली राशि को सीएसपीजीसीएल और सीएसपीटीसीएल को देय राशि से जोड़ दिया है, जो आईएनडी एएस–1 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, इस तथ्य को वित्तीय विवरणों में नोट्स के माध्यम से प्रकट करना किया जाना चाहिए था।
एएस 18– संबंधित पक्ष प्रकटीकरण	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2019–20 एवं 2020–21)	कंपनी ने प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के संबंध में संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा नहीं किया, जैसे प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया वेतन ₹5.24 लाख (2019–2020), ₹31.46 लाख (2020–2021) जैसा कि एएस 18 (संबंधित पार्टी प्रकटीकरण) के पैरा 20 के अनुसार आवश्यक है। अतः नोट क्रमांक 20 की प्रस्तुति. उस सीमा तक अपूर्ण है।
एएस 29 – प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2021–22)	31 मार्च 2022 तक, निगम के पास 13 मुकदमों के मामले हैं जो अदालत के समक्ष लंबित हैं, जिनमें से 9 मामलों में वित्तीय निहितार्थ शामिल है। हालाँकि, कंपनी ने एएस 29 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण में किसी भी मामले का प्रकटीकरण नहीं किया है। इसलिए, वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है।
एएस 3– नकदी प्रवाह विवरण	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2021–22)	लेखांकन मानक 3 (नकदी प्रवाह विवरण) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी ने नकदी प्रवाह विवरण की विधि (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) का खुलासा नहीं किया है। इसलिए, वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपर्याप्त है।

5.16 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के शासन के लिए उतरदायी लोगों के मध्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है।

पीएसयू के वित्तीय विवरणों पर प्रमुख टिप्पणियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन या प्रतिवेदन प्रक्रिया में पायी गई अनियमितताओं या कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी सूचित किया गया था।

अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान 11[20] सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधन पत्र जारी किए गए। आम तौर पर संबंधित कमियां निम्न थी :

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं;
- प्रबंधन की ओर से आंतरिक नियंत्रण की कमी; तथा
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रयोग और व्याख्या।

5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, एक सांविधिक निगम सहित 28 सार्वजनिक उपक्रम थे। 28 में से दो निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम हैं। 26 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 20 पीएसयू (19 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखे 30 सितंबर 2023 को दो या उससे कम वर्षों के लिए बकाया थे, वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

2022–23 के दौरान, इन 20 सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹42,172.73 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 9.22 प्रतिशत के बराबर था। अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का योगदान 2022–23 के दौरान पीएसयू के कुल टर्नओवर का 66.51 प्रतिशत है।

31 मार्च 2023 के अंत में राज्य सरकार का 28 पीएसयू में पूँजी और दीर्घकालिक ऋण में निवेश ₹7,579.09 करोड़ था। इन सार्वजनिक उपक्रमों के बकाया दीर्घकालिक ऋण वर्षों 2020–21 से 2022–23 के दौरान के ₹13,865.19 करोड़ से बढ़कर ₹13,877.90 करोड़ हो गये।

20 पीएसयू (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 10 पीएसयू द्वारा 2022–23 में अर्जित लाभ ₹879.22 करोड़ रुपये था, जबकि 2020–21 में नौ पीएसयू ने ₹540.16 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹109.89 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम (₹71.20 करोड़) ने लाभ में मुख्य योगदान दिया था। सात पीएसयू को हुई कुल ₹1,143.10 करोड़ की हानि में से मुख्य हानि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹1,132.72 करोड़) की थी।

28 पीएसयू में से, 25 पीएसयू (24 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम) के लेखे वर्ष 2022–23 के

[20] छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (एसए 2021–22), छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसरचना विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज़ विकास निगम लिमिटेड, उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (एसए एवं सीएफएस 2019–20 और 2020–21) और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

लिए विभिन्न कारणों से बकाया थे। पीएसयू, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 25 पीएसयू के 47 लेखे बकाया थे।

5.18 अनुशंसाएं

i. छत्तीसगढ़ सरकार हानि में चल रहे सभी पीएसयू के कार्यकलापों की समीक्षा कर सकती है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

ii. छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक विभागों को अलग–अलग पीएसयू के लिए समय पर लेखे प्रस्तुत करने और बकाया का निस्तारण की सख्ती से निगरानी करने और लेखों का यथाशीघ्र अंतिमीकरण करते हुए बकाया को समाप्त करने हेतु कदम उठाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

iii. सरकार निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनरुद्धार/समापन पर उचित निर्णय ले सकती है।

iv. लाभ कमाने वाले दस सार्वजनिक उपक्रमों में से, उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार केवल एक पीएसयू ने लाभांश घोषित किया है। राज्य सरकार पीएसयू के लिए लाभांश नीति बना सकती है।

v. राज्य सरकार उन पीएसयू में घाटे के कारणों का विश्लेषण कर सकती है जिनका निवल मूल्य क्षरित हो गया है और उनके संचालन को कुशल और लाभदायक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

रायपुर
दिनांकः 17 अप्रैल 2024

(यशवंत कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 26 अप्रैल 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक